



क्या यह आयोजन सरकार और संगठन की एकजुटता का संदेश दे पाया है?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने सत्ता में दो वर्ष पूरे होने पर बिलासपुर में राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया है। इस रैली में तीस हजार लोगों के आने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य के आर्इने में यह रैली बहुत सफल रही मानी जा सकती है। फिर इन दो वर्षों में सुक्खू सरकार जिस तरह के राजनीतिक वातावरण का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुंची है उसके आर्इने में भी इस आयोजन को एक सफल आयोजन करार दिया जा सकता है। लेकिन क्या इस रैली के बाद कांग्रेस संगठन और कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ताओं तथा रैली में आई हुई जनता को अपनी एक जुटता सन्देश दे पाये हैं? क्या इस आयोजन के बाद विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई सवाल नहीं रह गये हैं जिनका जवाब आना शेष हो? यह सवाल इसलिये महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन दो वर्षों में प्रदेश सरकार पहले दिन से ही केन्द्र पर राज्य को वांछित सहयोग न देने का आरोप लगाती आयी है और विपक्ष सरकार को गारंटियों के नाम पर घेरती आयी है। इस रैली में कांग्रेस हाईकमान की ओर से कोई भी नेता शामिल नहीं हो पाया है जबकि आमन्त्रण सारे शीर्ष नेताओं को था। इस आयोजन के मुख्यअतिथि प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला थे जबकि यह आयोजन प्रभारी होने के नाते उनके अपने कार्यकलाप की भी परीक्षा था।

इन बिन्दुओं पर यदि इस आयोजन का मूल्यांकन किया जाये तो इस अवसर पर रैली मैदान को लेकर जो सवाल पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने उठाये हैं वह अपने में बहुत कुछ ब्यान कर जाते हैं। इस आयोजन में जिस तरह से प्रदेशाध्यक्ष

➤ हाईकमान के किसी भी बड़े नेता का न आना सवालों में
➤ विपक्ष ने काला चिट्ठा सौंपकर खोला मुद्दों का पिटारा

प्रतिभा सिंह को स्टेज पर बोलते को स्वतः ही बल मिल जाता है कि प्रयास किया जा रहा है। यहां यह



हुये रोका गया उससे उन आशंकाओं होली लॉज को डिसलॉज करने का उल्लेखनीय हो जाता है कि जब

प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में मण्डी के लोकसभा का उपचुनाव जीता था तो वह स्व. वीरभद्र सिंह की विरासत के नाम पर ही संभव हो पाया था। इसी विरासत के कारण विधानसभा चुनावों के समय भी किसी एक को नेता घोषित नहीं किया गया था। बाद में मुख्यमंत्री पद के लिये शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू इसलिये नामित हुये क्योंकि वही एकमात्र नेता थे जो कांग्रेस संगठन की तीनों इकाइयों छात्र, युवा और मुख्य संगठन के अध्यक्ष रह चुके थे। लेकिन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पर जिस तरह से अपने ही मित्रों के गिर्द केन्द्रित होकर रह जाने के आरोप लगने शुरू हुये उनके कारण वीरभद्र कार्यकाल में सक्रिय रहे कार्यकर्ता मुख्य धारा से बाहर होते चले गये। लेकिन जिन मित्रों को मुख्यमंत्री आगे ले वह न तो सरकार में ही कोई महत्वपूर्ण

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या मुर्गा और समोसा मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा पायेंगे?

शिमला/शैल। क्या मुर्गे और समोसे प्रकरणों को चर्चा का केन्द्र बनाकर प्रदेश के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सकता है? क्या प्रशासन सरकार को सही राय नहीं दे रहा है? या मुख्यमंत्री किसी की सुनते ही नहीं हैं? यह सारे सवाल 11 दिसम्बर को बिलासपुर में सरकार की दूसरी वर्षगांठ मनाने के बाद घटे मुर्गा

प्रकरण के बाद उभरे हैं। जब बिलासपुर में समारोह चल रहा था तो उसी समय विपक्ष शिमला में राज्यपाल को सरकार के दो वर्षों का काला चिट्ठा सौंप रहा था। इस काले चिठ्ठे में दर्ज आरोपों के परिणाम गंभीर होंगे। इन आरोपों को हल्के में लेकर नजरअन्दाज कर देना आसान नहीं होगा। यह आरोप आने वाले समय में हर व्यक्ति

की जुबान पर होंगे। हर घर में चर्चा का विषय बनेंगे। फिर बिलासपुर के समारोह में संगठन और सरकार के रिश्ते भी खुलकर सामने आ गये हैं। बिलासपुर के समारोह में समोसा प्रकरण को लेकर जिस भाषा और तर्ज में प्रशासन को चेताया गया है उसके भी राजनीतिक मायने कुछ अलग हो जाते हैं। नादौन हमीरपुर में पांच माह पहले हुई आयकर

और ई डी की छापेमारी के बाद इस संबंध में ईडी में मामला दर्ज होने के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां तक हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांगड़ा केन्द्रीय सरकारी बैंक को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ था। अब इस ऑडियो के आधार पर सीबीआई में मामला दर्ज होने के कगार पर पहुंच गया है।

शेष पृष्ठ 8 पर.....

महिलाओं को नशा मुक्ति अभियान के लिए आगे आना चाहिए: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रेडक्रॉस स्वयं सेवकों और महिलाओं से नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं विशेषकर छात्राओं को नशे के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आना चाहिए।

राज्यपाल ने नालागढ़ में जिला

के दौरान गरीबों को मुफ्त दवाइयां व अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने सहित रेडक्रॉस सोसायटियों द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने, शिक्षित करने व प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला रेडक्रॉस सोसायटी

पहल पर लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ब्लड बैंक कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी तथा विभिन्न संगठनों के स्टॉलों तथा रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया।

इसके पश्चात, राज्यपाल नालागढ़ विकास खंड की रडियाली पंचायत में नशा निवारण जन-जागरण कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर पर नशे के विरुद्ध अभियान चलाया है। इस अभियान में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को विशेष रूप से इस अभियान में शामिल करके इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अवैध नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। शुक्ल ने कहा कि नशाखोरी को लेकर हम सभी चिंतित हैं, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। हम सभी को मिलकर इस बुराई से लड़ना होगा।

राज्यपाल ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ लड़ाई हर घर से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति नशाखोरी के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो जाए तो यह समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस अभियान में अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने स्थानीय विधायक से नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाने का आग्रह किया। उन्होंने नशामुक्ति के लिए जन जागरण अभियान में महिलाओं का सहयोग मांगा।

राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि को नशामुक्त बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताई है और इस दिशा में कार्य करने को कहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर ग्रामीणों से भी बातचीत की।

राज्यपाल ने इस अवसर पर नशा विरोधी रैली को हरी झंडी दिखाई।



रेडक्रॉस सोसायटी सोलन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय रेडक्रॉस मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान सम्बोधित किया।

उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस पीड़ित मानवता के लिए कार्य कर रहा है और इसकी सेवाओं का उपयोग समाज से बुराइयों को खत्म करने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से रेडक्रॉस के साथ जुड़ने का आग्रह किया ताकि वंचित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय गतिविधियां चलाई जा सकें। कल्याणकारी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए संसाधन जुटाने के प्रयास किए जाने चाहिए और जिम्मेदार नागरिकों को रेडक्रॉस की गतिविधियों के साथ खुद को जोड़ना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस मेले करुणा, एकता और सेवा की भावना के प्रमाण हैं, जो रेडक्रॉस आंदोलन को परिभाषित करते हैं। रेडक्रॉस का प्रतीक मानव कल्याण की प्रेरणा देता है तथा यह गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए आशा की किरण है। उन्होंने कहा कि हमें भी इस संस्था से प्रेरणा लेकर गरीब व जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए।

राज्यपाल ने विभिन्न आपदाओं

सोलन के प्रयासों की सराहना की।

शुक्ल ने उद्योगपतियों से रेडक्रॉस कोष में उदारतापूर्वक दान देने का भी आग्रह किया। उन्होंने जिला शाखा को अधिक आजीवन सदस्य जोड़ने के भी निर्देश दिए।

राज्यपाल ने इस अवसर पर रजोत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक 'कैंथ के पेड़' का विमोचन किया।

उन्होंने इस अवसर पर मनोज अग्रवाल, शशि कौशल, सुनेंद्र शर्मा व चौधरी हरभजन सिंह सहित अन्य दानियों को सम्मानित किया।

नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा ने बलावाह में रक्तदान इकाई समर्पित करने के लिए भी उनका आभार व्यक्त किया तथा कहा कि आईजीएमसी शिमला के बाद यहां दूसरी इकाई स्थापित की गई है।

उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने भी राज्यपाल का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया। राज्यपाल ने भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी हिमाचल प्रदेश तथा किनवन प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की

राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की

शिमला/शैल। राम सेवा संकल्प फाउंडेशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल

के लिए प्रेरणा मिलेगी।

शुक्ल ने कहा कि शिक्षा प्रगति की आधारशिला है, जो अनंत संभावनाओं को खोलती है तथा व्यक्ति एवं राष्ट्र के भविष्य को आकार देती



शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने विभिन्न विद्यालयों के 8वीं से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं छात्रवृत्तियां प्रदान की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि इस फाउंडेशन ने एक अच्छी पहल की है, जिससे न केवल विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों में और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने

है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल के माध्यम से राम सेवा संकल्प फाउंडेशन यह सुनिश्चित कर रहा है कि ज्ञान एवं सफलता के द्वार सभी के लिए खुले रहें। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 2015 में शुरू हुए इस फाउंडेशन ने अब तक 10 हजार से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं तथा हिमाचल के साथ-साथ पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर में लगभग 3000 छात्रवृत्तियां

प्रदान कर रहा है। उन्होंने सामाजिक गतिविधियों में फाउंडेशन के योगदान की भी सराहना की।

उन्होंने कहा कि प्रदान की गई छात्रवृत्तियां न केवल कई योग्य छात्रों के वित्तीय बोझ को कम करेंगी, बल्कि प्रेरणास्रोत भी बनेंगी। उन्होंने कहा कि इन छात्रवृत्तियों से प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करने और समाज में सार्थक योगदान देने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि यह केवल वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की क्षमता, उनकी कड़ी मेहनत और उनके सपनों को पूरा करने की लगन को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

राम सेवा संकल्प फाउंडेशन के संयुक्त प्रबंध निदेशक नीलेश ओझड़ा ने राज्यपाल को फाउंडेशन की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।

शैल समाचार

संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

संयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने नालागढ़ विस क्षेत्र को 31 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की दी सौगात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 31 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के

आधारशिला भी रखी।

मुख्यमंत्री ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा



उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने मितियां, बेहली, खल्लर व आसपास के क्षेत्रों के लिए 7.24 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पेयजल योजना का उद्घाटन किया।

उन्होंने नालागढ़ के लिए 5.22 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सात ट्यूबवेल तथा नालागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में 4.82 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल स्कीमों की उन्नयन परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने 5.77 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले कोटला कलां पुल, 4.44 करोड़ रुपये की लागत से रेतार खड्ड पुल तथा 3.51 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले भटौली खड्ड पुल सहित तीन पुलों की

कि यहां विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पूरे राज्य में समान विकास को प्राथमिकता दे रही है तथा जनता के कल्याण के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला रेडक्रॉस सोसायटी को दान की गई दो एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने दानियों के उदार योगदान के लिए के लिए उन्हें सम्मानित किया।

नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा ने इन परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का नालागढ़ के लोगों के प्रति विशेष स्नेह है।

प्रदेश सरकार गूगल के साथ मिलकर पीपल्स एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म विकसित करेगी

शिमला/शैल। गूगल इंडिया के प्रमुख आशीष वट्टल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से ओक ओवर में भेंट की और हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं में सकारात्मक बदलाव के दृष्टिगत एआई-संचालित पहलों पर सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। बैठक में त्वरित जन सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार

कि इस प्लेटफॉर्म से लोगों को प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर जैसे कुशल सेवा प्रदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी और असंगठित क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जन शिकायतों का त्वरित



करने तथा डिजिटल कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन शिकायत निवारण में उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित कर रही है। राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में गूगल को विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने कंपनी से राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र में निवेश करने पर विचार करने को कहा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने श्रम और रोजगार विभाग के माध्यम से गूगल के साथ मिलकर 'पीपल्स एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म' विकसित करने की योजना तैयार की है। उन्होंने कहा

निवारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 को जनरेटिव एआई के साथ अपग्रेड करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने और शिक्षण विधियों को आधुनिक बनाने के लिए राज्य में दो सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एआई-आधारित शिक्षण मॉड्यूल का संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकी में कृषि और आपदा तैयारियों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सटीक मौसम पूर्वानुमान से स्थानीय प्रशासन द्वारा समय पर बेहतर कार्य योजना और प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर छः नई योजनाओं का किया शुभारंभ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावना तलाशें अधिकारी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला बिलासपुर के लुहणू मैदान में प्रदेश सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान छः नई योजनाओं का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को वित्तीय लाभ वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप

प्रति किंवदंत की दर से जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट खरीद की योजना शुरू की है। योजना के तहत 100 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 1 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी



से उत्पादित मक्की से तैयार हिमभोग आटा लॉन्च किया।

राज्य सरकार ने प्रदेश के 10 जिलों में 1,506 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की है और किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.20 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। देश में हिमाचल गेहूँ के लिए 40 रुपये प्रतिकिलो ग्राम और मक्की के लिए 30 रुपये प्रतिकिलो ग्राम अधिकतम समर्थन मूल्य देने वाला राज्य है और प्रदेश में 35 हजार हेक्टेयर भूमि पर 1.98 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना के अन्तर्गत 36,000 किसानों को शामिल किया जा रहा है।

कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र निहित गारंटियों को पूरा करने के उद्देश्य से लघु किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 300 रुपये

स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना 2023 के अन्तर्गत 16 टैक्सी मालिकों को चाबियां प्रदान की। योजना के तहत लाभार्थियों को ई-टैक्सी खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्राप्त हुआ है और सरकारी कार्यालयों में पांच वर्षों के लिए लीज पर ई-टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। इससे टैक्सी मालिकों को नियमित आय का साधन उपलब्ध करवाया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य पहले चरण में ई-टैक्सी मालिकों को लगभग 150 परमिट प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 5145 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपये वितरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने लाभार्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के 23 हजार बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित

करना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए 1 हजार रुपये प्रतिमाह और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रावधान रखा गया है। इससे बाल शोषण को रोकने में सहायता मिलेगी और वंचित परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य के सात जिलों में बागवानी क्षेत्र के विकास को विस्तार प्रदान करने के लिए 1292 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना का भी शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के छः हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद, संतरे, लीची और पलम जैसे फलों की खेती को बढ़ावा प्रदान कर 15 हजार किसान परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2032 तक प्रतिवर्ष 1.3 लाख मीट्रिक टन फलों का उत्पादन होने की संभावना है जिनका बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपये होगा।

मुख्यमंत्री ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, चम्बा और जिला सिरमौर के शिलाई के दुर्गम क्षेत्रों के लिए पांच मोबाइल आयुष स्वास्थ्य यूनिट को झंडी दिवाकर रवाना किया। प्रत्येक यूनिट में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आयुर्वेद, यूनानी और होमोपैथी उपचार के लिए अनुभवी चिकित्सा टीम सेवाएं देगी। इस पहल का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अन्तर्गत जिला बिलासपुर के 197 लाभार्थियों को 1.90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके तहत 153 बच्चों के लिए पेंशन, 17 लाभार्थियों के लिए आवास अनुदान, 10-10 लाभार्थियों के लिए विवाह एवं उच्च शिक्षा और 3-3 लाभार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और स्टार्ट-अप सहायता प्रदान की गई।

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को जिला शिमला के उप-मंडल कुपवी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में खाली पहाड़ियों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। 13 दिसंबर, 2024 को कुपवी उपमंडल के गांव टिक्कर में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं पर विस्तृत

चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों से उनके समय में प्रचलित पठन-पाठन के तरीकों व वर्तमान में शिक्षा के परिपेक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ सरकार द्वारा ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की।

उप-मुख्यमंत्री ने जीस्केलर कंपनी के सीईओ से की मुलाकात

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विश्व विख्यात उद्योगपति एवं जीस्केलर कंपनी के

उप-मुख्यमंत्री के निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक स्वीकारते हुए कहा कि वे राज्य के विकास में योगदान देना चाहते



मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जय चौधरी से चंडीगढ़ में भेंट की।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जय चौधरी ऊना जिला के पनोह गांव से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से विश्व पटल पर राज्य का नाम रोशन किया है जो राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।

उप-मुख्यमंत्री ने जय चौधरी को हिमाचल विशेषकर ऊना आने का न्योता दिया। जय चौधरी ने

हैं। उन्होंने साइबर अपराध की रोकथाम, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए जल्द ही हिमाचल का दौरा करने की योजना बना रहे हैं।

इस अवसर पर ट्रिपल आई.टी. ऊना के अध्यक्ष रवि शर्मा, निदेशक मनीष गौड़ व उप-मुख्यमंत्री के ओएसडी विक्रान्त ठाकुर भी उपस्थित रहे।

विक्रमादित्य ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भुबुजोत में सुरंग निर्माण का किया आग्रह

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का 350 करोड़ रुपये की राशि को केंद्रीय सड़क अवसरचना निधि

तक कम होगी। यह परियोजना पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका सामरिक महत्व भी है। इससे कुल्लू जिले का भ्रमण करने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिल पाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से भारत सेतु योजना



सीआरआईएफ के तहत स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से रोपवे परियोजनाओं को वन मंजूरी से छूट देने के लिए भी धन्यवाद किया। लोक निर्माण मंत्री ने गडकरी से घाटसनी-शिलाह-बधानी-भुबुजोत-कुल्लू के बीच वैकल्पिक सड़क निर्माण और भुबुजोत में एक सुरंग के निर्माण का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से एनएच-144 पर दूरी 40 किलोमीटर

के तहत 125.57 करोड़ रुपये की लागत से कांगड़ा और हमीरपुर जिलों को जोड़ने वाले ब्यास नदी पर बसतिपत्तन और खेरी के बीच एक डबल लेन पुल के निर्माण को प्राथमिकता पर मंजूरी देने का भी आग्रह किया। उन्होंने मंडी जिले में पंडोह-शिवा रोड पर ब्यास नदी पर 19.09 करोड़ की लागत से 110 मीटर लंबा सिंगल लेन स्टील ट्रस मोटरबल पुल के निर्माण का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पांच ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में परिवहन विभाग और दो कंपनियों के बीच प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित चार ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

पांच ग्रीन कॉरिडोर पर कंपनियां एक साल के भीतर 41 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं तथा सुपर मार्केट स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 41 स्थानों पर ई-बस, ई-ट्रक तथा



इसके तहत जियो-बीपी कंपनी मंडी-जोगिंद्रनगर पठानकोट के साथ-साथ कीरतपुर-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी, जबकि इवीआई टेक्नोलॉजी कंपनी एक वर्ष के भीतर परवाणु-ऊना-संसारपुर टेरेस-नूरपुर तथा परवाणु, शिमला-रिकांगपियो-लोसर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी। इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी। इन

अन्य ई-व्हीकल को चार्ज करने की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही इन स्थानों पर शौचालय तथा रेस्तरां जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कंपनियां लगभग 75 लाख रुपए प्रति वर्ष लीज मनी के रूप में प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

इसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश को ई-व्हीकल के लिए मंडी राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम कर राज्य के वातावरण को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित किया जाएगा।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार 350 ई-बसों की भी खरीद करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का परिवहन विभाग देश में ऐसा पहला विभाग है जहां सभी वाहन ईलेक्ट्रिक हैं। प्रदेश में ग्रीन कॉरिडोर स्थापित होने से निजी वाहन मालिक भी ई-व्हीकल की तरफ प्रोत्साहित होंगे।

एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से निदेशक परिवहन विभाग डीसी नेगी, जबकि इवीआई टेक्नोलॉजी की ओर से राहुल सोनी तथा जियो बीपी कंपनी की ओर से अविनाश शर्मा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधान सचिव आरडी नजीम तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

ताकत जीतने से नहीं आती, जब आप कठिनाइयों से गुजरते हैं और हार नहीं मानने का निर्णय लेते हैं, तो वह ताकत होती है।

..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

संविधान की 75वीं वर्ष गांठ-कुछ सवाल



संसद में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा चल रही है। संविधान की इस चर्चा में हमारे माननीय सांसद भाग ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चा सामने आ रही है उससे यही निकल कर सामने आ रहा है कि शायद यह चर्चा पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतियोगिता मात्र है। जबकि संसद के मंच का उपयोग ऐसे गंभीर मुद्दों की चर्चा का केन्द्र होना चाहिए था जो वर्तमान की आशंकाओं पर माननीय का ध्यान केंद्रित करता। पिछले लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हर छोटी बड़ी जनसभा में संविधान की प्रति साथ लेकर जाते थे और जनता को यह समझाने का प्रयास करते रहे हैं कि संविधान को बदला जा रहा है। राहुल गांधी की इस आशंका का यह प्रभाव पड़ा कि जनता ने भाजपा को अपने अकेले के दम पर ही सरकार बनाने का बहुमत नहीं दिया। ऐसे में यह सवाल उभरना स्वभाविक है कि राहुल गांधी की इस आशंका का आधार क्या था। संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गये हैं। 2024 तक संविधान में एक सौ छः संशोधन हो चुके हैं। यह संशोधन इस बात का प्रमाण है कि हमारा संविधान सामायिक सवालों के प्रति कितना गंभीर है। इसी के साथ हमारे संविधान की यह भी विशेषता है कि इसके मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुजातिय देश है। इसके इसी चरित्र को सामने रखकर संविधान निर्माताओं ने देश के हर नागरिक को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी का दर्जा दिया है। सरकार का चरित्र धर्मनिरपेक्ष रखा। सरकार का व्यवहार सभी धर्म के प्रति एक सम्मान रहेगा। किसी के साथ भी जाति और लिंग के आधार पर गैर बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले कुछ अरसे से संविधान के इस स्वरूप के साथ व्यवहारिक रूप से हटकर आचरण देखा गया। गौरव और लव जिहाद के नाम पर भीड़ हिंसा हुई और इस हिंसा पर प्रशासन लगभग तटस्थ रहा। आर्थिक मुद्दों पर संसाधनों को प्राईवेट हाथों में सौंपा गया। देश की अधिकांश आबादी को सरकारी राशन पर आश्रित होना पड़ा। कोविड काल में आये लॉकडाउन में आपातकाल से भी ज्यादा कठिन हो गया जीवन यापन। यह शायद पहली बार देखने को मिला कि महामारी को भगाने के लिये ताली, थाली बजायी गयी और दीपक जलाये गये।

कोविड के इसी काल में संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम से भारत के संविधान का एक बारह पृष्ठों का एक बुकलेट वायरल हुआ जिसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया। पूरे समाज पर ब्राह्मण समाज का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास था। इस पर संघ कार्यालय नागपुर और पीएमओ के नाम पर सुझाव आमन्त्रित किये गये थे। लेकिन इस वायरल हुये प्रलेख पर न तो संघ कार्यालय और न ही पीएमओ से कोई खण्डन जारी हुआ। उत्तर प्रदेश में दो जगह अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो हुए लेकिन उन पर हुई कारवाई आज तक सामने नहीं आयी। इसी बीच मेघालय उच्च न्यायालय के जस्टिस सेन का फैसला आ गया जिसमें उन्होंने देश को धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पड़ोसी देशों की तर्ज पर धार्मिक देश बना दिये जाने का फैसला दिया। इस फैसले की प्रतियां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति तक को प्रेषित हुई। कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय भी पहुंचे। इसी परिदृश्य में केन्द्र में सत्तारूढ़ दल से मुस्लिम समाज के लोग संसद और सरकार से बाहर हो गये। क्या यह सारी स्थितियां संविधान को बदले जाने की आशंकाओं की ओर इंगित नहीं करते?

आज देश में क्या धर्म के नाम पर एक और विभाजन का जोखिम उठाया जा सकता है शायद नहीं? क्या आर्थिक संसाधनों की मलकियत किसी एक आदमी के हाथ में सौंपी जा सकती है। जिस देश में आज भी 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पर आश्रित रहने को मजबूर हों उसके विकास के दावों को किस तराजू में तोला जा सकता है। इस समय संसद में इन आशंकाओं पर एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।

स्मार्ट सिटी मिशन की उपलब्धियाँ

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत 15.11.2024 तक 8,066 परियोजनाओं में 1,64,669 करोड़ रुपए की राशि के कार्य आदेश जारी किए गए हैं। 100 स्मार्ट शहरों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इनमें से 1,47,366 करोड़ रुपए की 7,352 परियोजनाओं (यानी कुल परियोजनाओं का 91%) का कार्यपूरा हो चुका है।

एससीएम की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ शहरी जीवन स्तर, सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने में नजर आई हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, सभी 100 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी), 84,000

आईडी) सक्षम किया गया है, 9,433 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम हैं और 41 डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की गई हैं, 172 ई-स्वास्थ्य केंद्र एवं क्लीनिक विकसित किए गए हैं और 152 स्वास्थ्य एटीएम स्थापित किए गए हैं।

भारतीय शहरी विकास के लिए भारत सरकार की नीति और रणनीति भारत के संविधान में निर्धारित प्रावधानों का पालन करती है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि 'भूमि' और 'कोलोनाइजेशन' राज्य के विषय हैं। इसके अलावा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243डब्ल्यू) के अनुसार, टाउन प्लानिंग सहित शहरी

का केंद्रीकरण, सभी नगरपालिका विभागों और एजेंसियों के एकीकरण के साथ आईसीसीसी की पूरी क्षमता का उपयोग, परियोजनाओं को बार-बार बदलना और छोड़ना शामिल हैं।

आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय (एमओएचयूए) के पास एससीएम के तहत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए बहु-स्तरीय समीक्षा संरचना है। राज्य स्तर पर, मिशन कार्यान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, कार्यान्वयन की निगरानी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। एसपीवी के बोर्ड में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के नामित निदेशक नियमित आधार पर संबंधित शहरों में प्रगति की निगरानी करते हैं। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय 100 स्मार्ट शहरों/यूएलबी के प्रदर्शन का आकलन करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सम्मेलन आदि के माध्यम से राज्यों/स्मार्ट शहरों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है और जहां भी आवश्यक हो, उसमें सुधार करने के लिए सुझाव देता है।

एससीएम ने 100 स्मार्ट शहरों में प्रतिकृति मॉडल/परियोजनाएं बनाई हैं जो 'क्षेत्र आधारित विकास' स्मार्ट सिटी समाधान (पैन सिटी फीचर्स) परियोजनाओं सहित देश के अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए 'लाइटहाउस' के रूप में कार्य कर सकती हैं।

एससीएम के तहत 7,000 से अधिक पूर्ण परियोजनाओं की सीख के आधार पर, मिशन ने स्केलेबल और प्रतिकृति परियोजनाओं से सीखों का दस्तावेजीकरण करने के लिए कई ज्ञान उत्पाद बनाए हैं। ये प्रकाशन एससीएम की वेबसाइट: <https://smartcities.gov.in/documents> पर उपलब्ध हैं।

यह जानकारी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तोरवन साहू ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

SMART CITIES MISSION

LOCALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



सीसीटीवी निगरानी कैमरे, 1,884 आपातकालीन कॉल बॉक्स, और 3,000 से अधिक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, 1,740 किलोमीटर से अधिक स्मार्ट सड़कें, 713 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक, 17,026 किलोमीटर लंबी जल आपूर्ति प्रणाली की निगरानी पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली के जरिए की जा रही है। 66 से अधिक शहर प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रबंधन कर रहे हैं, लगभग 9,194 वाहनों को स्वचालित वाहन स्थान (एवीएल) के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफ

नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। हालांकि, भारत सरकार उच्च शहरीकरण को तेज़ आर्थिक विकास की आकांक्षाओं के लिए अवसर के रूप में देखती है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/सलाहों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है।

जैसा कि स्मार्ट शहरों द्वारा बताया गया है, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लागू करने में आने वाली चुनौतियों में अन्य बातों के अलावा, कानूनी मुद्दे, विभिन्न विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में देरी, भूमि अधिग्रहण, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण, छोटे और मध्यम शहरों में विक्रेता और संसाधन उपलब्धता में चुनौतियां, कुछ शहरों में निर्णय लेने

देश के 6,22,840 गांवों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध है

देश के 6,44,131 गांवों में से (भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार), लगभग 6,22,840 गांवों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध है और इनमें से 6,14,564 गांव 30.09.2024 तक 4 जी मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ कवर किए जा चुके हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) मिशन के अंतर्गत 4,543 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

(पीवीटीजी) बस्तियों की मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित के रूप में पहचान की गई है और इनमें से 1,136 पीवीटीजी बस्तियों को मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किया गया है।

सरकार पीवीटीजी बस्तियों सहित देश के ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में मोबाइल टावरों की स्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि के तहत विभिन्न योजनाएं/परियोजनाएं

कार्यान्वित कर रही है। 31 अक्टूबर, 2024 तक, पीवीटीजी बस्तियों को 4जी कवरेज प्रदान करने के लिए विभिन्न डिजिटल भारत निधि वित्त पोषित मोबाइल परियोजनाओं के तहत 1,018 मोबाइल टावरों को मंजूरी दी गई है, जिसका अनुमानित व्यय 1,014 करोड़ रुपये है।

यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ.पेम्मासनी चंद्रशेखर ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

स्वास्थ्य पर जेब से अधिक खर्च को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021-22 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीडी) 39.4% है। वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए देश में टीएचई के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर ओओपीडी क्रमशः 48.8%, 48.2%, 47.1%, 44.4% और 39.4% है और इसलिए टीएचई के प्रतिशत के रूप में ओओपीडी में गिरावट का रुझान है। भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य टीएचई के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध राज्यवार ओओपीडी अनुलग्नक के रूप में रखा गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने राज्यों के साथ मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देने और हर साल अपने स्वास्थ्य बजट में कम से कम 10% की वृद्धि करने का काम किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) के लिए बजट आवंटन 2017-18 (बजट अनुमान) में 47,353 करोड़ रुपये से 85% बढ़कर 2024-25 (बजट अनुमान) में 87,657 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए 70,051 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया।

केंद्र सरकार ने लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और ओओपीडी को कम

करने के लिए राज्यों के प्रयासों में मदद करने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सरकार ने लोगों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में राज्य सरकारों का समर्थन करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करने के लिए सहयोग प्रदान करता है।

इस संबंध में, सरकार ने मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसररचना मिशन (पीएम - एबीएचआईएम), आयुष्मान आरोग्य मंदिर (तत्कालीन एबी - एचडब्ल्यूसी) और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम - जेएवाई)।

पीएम - एबीएचआईएम को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने और नई और उभरती बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए नए संस्थान बनाने के मिशन के रूप में शुरू किया गया था।

पीएम - एबीएचआईएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक शामिल हैं और इसका परिचय 64,180 करोड़ रुपये है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा

उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को बदलकर 10 दिसंबर 2024 तक कुल 1,75,418 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित और चालू किए जा चुके हैं। एएएम का उद्देश्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला प्रदान करना है जिसमें प्रजनन और बाल देखभाल सेवाओं, संक्रामक रोगों, गैर-संक्रामक रोगों और सभी स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करते हुए निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं, जो सार्वभौमिक, निःशुल्क और समुदाय के करीब हैं।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम - जेएवाई) भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम - जेएवाई के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है।

आवश्यक दवाओं और नैदानिक 'सुविधाओं' की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाले रोगियों के खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल और निःशुल्क नैदानिक सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा,

राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में किफायती

दवाइयाँ और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मसी स्टोर स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

राज्य के कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में राज्यवार अपनी जेब से किया गया व्यय (ओओपीडी)

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
1	असम	34.9	33.2	27.6
2	आंध्र प्रदेश	63.6	58.8	52.0
3	बिहार	54.3	50.2	41.3
4	छत्तीसगढ़	36.7	33.9	29.2
5	गुजरात	40.8	40.0	35.0
6	हरियाणा	45.5	42.2	37.5
7	जम्मू और कश्मीर	46.6	31.8	25.9
8	झारखंड	64.7	61.8	47.5
9	कर्नाटक	31.8	30.3	25.4
10	केरल	67.9	65.7	59.1
11	मध्य प्रदेश	53.0	53.0	43.3
12	महाराष्ट्र	44.1	42.4	38.1
13	ओडिशा	53.4	44.6	37.1
14	पंजाब	64.7	62.3	57.2
15	राजस्थान	47.4	42.8	37.1
16	तमिलनाडु	44.2	36.9	34.6
17	उत्तर प्रदेश	71.8	70.2	63.7
18	उत्तराखंड	35.8	33.4	26.9
19	पश्चिम बंगाल	67.1	65.1	58.3
20	तेलंगाना	41.6	39.8	37.6
21	हिमाचल प्रदेश	46.0	45.0	39.6

बरसात में बिखरी जिंदगी को फिर से संवारने में विशेष आर्थिक पैकेज से मिला संबल

पिछली बरसात में अपना घर खो चुके परिवारों के लिए प्रदेश सरकार का विशेष राहत पैकेज नई जिंदगी का आसरा बना है। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के दो परिवारों को इस पैकेज के तहत सपनों का आशियाना फिर से बसाने के लिए तीन-तीन बिस्वा भूमि प्रदेश सरकार की ओर से प्रदान की गई है। सुख की सरकार की यह संवेदनशील पहल इन परिवारों के जीवन में नया उजाला लेकर आई है।

पंडोह बांध के एक छोर पर ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में बसा खोलानाल क्षेत्र का कशौड़ गांव। अन्य पहाड़ी गांवों की तरह यहां भी सभी लोग हंसी-खुशी जीवन-यापन कर रहे थे। गत वर्ष की बरसात यहां भारी तबाही लेकर आई। मूसलाधार बारिश एवं भू-स्वलन के कारण गांव की बुद्धि देवी व लाल सिंह के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में जीवन की दुशवारियां बढ़ना लाजमी ही था। दोबारा घर बनाने का हौसला तो था, मगर जमीन के नाम पर अब कुछ नहीं बचा था। पैसों की तंगी अलग से। ऐसे में चिंता यही कि बिखरी जिंदगी फिर से संवारे भी तो कैसे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखर्व की दूरदर्शी सोच व संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित ऐसे हजारों परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज-2023 घोषित किया। राहत मैन्युअल में संशोधन कर राज्य सरकार ने न केवल घर बनाने के लिए मुआवजा डेढ़ लाख रुपए से बढ़ाकर सात लाख रुपए किया, अपितु भूमिहीन प्रभावितों को घर बनाने के लिए भूमि आवंटन की भी पहल की।

इस पहल के सार्थक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। काशौड़ गांव की बुद्धि देवी पत्नी गिन्नु राम को पंडोह के समीप सियोग मुहाल में तीन बिस्वा भूमि मंजूर की गई है। इसी गांव के लाल सिंह पुत्र श्याम सिंह को भी सियोग में

ही तीन बिस्वा भूमि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं सराज विधानसभा क्षेत्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्हें भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज भेंट किए।

इन लाभार्थियों का कहना है कि विशेष राहत पैकेज प्रदेश सरकार के संवेदनशील व मानवीय दृष्टिकोण का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इससे वह फिर से अपने स्थिर व सुरक्षित जीवन की नींव रखने में सक्षम हो पाए हैं। इससे यह भी विश्वास बढ़ा है कि प्रत्येक नागरिक की कठिनाईयों को समझते हुए उन्हें त्वरित व प्रभावी सहायता प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।

मंडी जिला में इस विशेष राहत पैकेज के तहत 7,933 आपदा प्रभावितों को लगभग 74.20 करोड़ रुपए की मदद प्रदान की जा चुकी है। इसमें ऐसे प्रभावित भी शामिल हैं जिनकी आजीविका के साधन बारिश व बाढ़ अपने साथ लील गई। किराए के मकानों में रहने वालों का साजो-सामान बहा ले गई। कृषि भूमि, फसलों को तबाह कर गई। प्रदेश सरकार ने इन सभी की आर्थिक मदद के लिए मुआवजा राशि में 25 गुणा तक की बढ़ोतरी की। जिला में दुकानों व ढाबों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 104 प्रभावितों को लगभग 98 लाख रुपए, किरायेदारों के सामान इत्यादि के नुकसान पर मुआवजे के रूप में 504 प्रभावितों को 1.19 करोड़ रुपए प्रदान किए गए।

उपायुक्त अपूर्व देवगन का कहना है कि प्रदेश सरकार के विशेष राहत पैकेज के तहत मंडी जिला में सभी प्रभावितों को मदद प्रदान की जा रही है। भूमिहीन आपदा प्रभावितों को गृह निर्माण के लिए भूमि चिह्नित की गई है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रदेश सरकार की इस पहल का लाभ सभी प्रभावित परिवारों को समयबद्ध प्राप्त हो।

प्राकृतिक खेती से सुदृढ़ हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

हिमाचल प्रदेश में किसानों को सशक्त और ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। खेती की लागत को कम करने, आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।

प्राकृतिक खेती से जहां मानव और पर्यावरण को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाया जा रहा है। वहीं खेती की लागत कम होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है।

प्राकृतिक खेती से किसान-बागवानों की बाजार पर निर्भरता खत्म हो रही है और वह अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों का भरपूर प्रयोग खेती में कर रहे हैं।

प्रदेश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में किसान-बागवान विविध फसलों व फलों को प्राकृतिक खेती से उगा रहे हैं। प्रदेश राज्य की 3,592 पंचायतों में 1 लाख 98 हजार किसान 35 हजार हैक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती से विविध फसलें उगा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखर्व ने प्राकृतिक खेती पर विशेष बल देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। प्राकृतिक खेती की प्रासंगिकता को देखने के लिए योजना की शुरुआत के बाद प्रदेश में रसायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग के आकलन के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद और अकादमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज लखनऊ द्वारा शोध किए गए हैं।

प्राकृतिक खेती करने से कृषि की लागत में औसतन 36 फीसदी की कमी आई है और उत्पादों के औसतन 8 फीसदी अधिक दाम मिले हैं। प्राकृतिक खेती कर रहे 75 फीसदी किसान-

बागवान फसल विविधकरण की ओर अग्रसर हुए हैं।

प्रदेश सरकार ने आगामी दस वर्षों में राज्य को 'समृद्ध और आत्मनिर्भर' बनाने के लिए आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की है। किसानों के कल्याण को प्रमुख रखते हुए 'समृद्ध किसान हिमाचल' को पहले स्थान पर रखा गया है। प्रदेश सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तीसरे चरण में एक नई योजना राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना की शुरुआत की है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने के साथ पूरे देश में गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक 40 और 30 रुपये का समर्थन मूल्य तय किया है। इसके तहत प्रत्येक प्राकृतिक खेती किसान परिवार से 20 किंवदंत तक अनाज खरीदा जाएगा। हाल ही में कृषि विभाग ने प्रदेश के 1,508 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की की खरीद कर 'हिम-भोग हिम प्राकृतिक' मक्की आटा बाजार में उतारने के साथ प्राकृतिक उत्पादों के लिए 'हिम प्राकृतिक खेती उत्पाद योजना' की भी शुरुआत की है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में सात जिलों में बागवानी और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,292 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है।

हिमाचल दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य है जहां गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीदा जा रहा है।

दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र से

20,000 से अधिक डेयरी किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, कांगड़ा जिले के दगवार में पूरी तरह से स्वचालित दूध और दूध उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

कुल्लू, नाहन और नालागढ़ में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे जबकि ऊना और हमीरपुर में आधुनिक मिल्क चिलिंग प्लांट की योजना बनाई जा रही है।

मिल्कफेड वर्तमान में प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध खरीद रहा है और एक अग्रणी पहल के रूप में ऊना जिले में बकरी का दूध 70 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीदा जा रहा है।

राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये की 'हिम गंगा' योजना शुरू की गई है। पिछले दो वर्षों में 26,000 बीपीएल किसानों को संवेधियों के चारे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिली है जिससे डेयरी क्षेत्र को महत्वपूर्ण मदद मिली है।

सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत की गई है। मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत बकाया भुगतानों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 12 रुपये किया गया है।

बाइबंदी के लिए 70 प्रतिशत तक, अनाज, दलहन, तिलहन और चारा फसलों के लिए बीज पर 50 प्रतिशत और आलू, अदरक और हल्दी के बीज के लिए 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

बीते दो वर्षों में जाइका योजना के तहत जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर 96.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे 50,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रदेशवासियों के सहयोग और कांग्रेस हाईकमान के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित दो वर्ष के समारोह के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओं-बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया। इस पैकेज के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपये बढ़ाकर सात लाख रुपये किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने के मापदंड को मंजूरी प्रदान की। सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरने, शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के 17 अध्यापकों तथा उर्दू भाषा के 14 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतराल को भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती में एसएमसी अध्यापकों (पीजीटी/डीपीटी) के लिए पांच प्रतिशत एलडीआर कोटा शामिल करने को मंजूरी प्रदान की गई, जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा।

शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवा पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में नर्सरी कक्षा एवं कक्षा-1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली-2020 के तहत लागू करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम-2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उचित मूल निकासी और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होंगे। इसके अलावा, होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल विद्युत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इन प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नीति का आकलन और निर्माण करेगी, जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान

में प्रदेश में इस तरह की 700 से अधिक रूकी हुई परियोजनाएं हैं।

मंत्रिमंडल ने महर्षि बाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले



बाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 के अन्तर्गत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के मध्य नर्सिंग, पैरामैडिकल, मिनिस्ट्रियल और गैर-मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के सामान्य कैडर के विभाजन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इन कर्मचारियों को अपने पसंदीदा कैडर का चयन करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।

बैठक में हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) ट्रस्ट नियम-2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। संशोधन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट समीकरण शामिल है और स्थानीय समुदाय को लाभान्वित करने के लिए सीधे प्रभावित क्षेत्र का दायरा पांच किलोमीटर से बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा, डीएमएफ फंड का उपयोग कम से कम 70 प्रतिशत विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें से 70 प्रतिशत फंड उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित किया जाना चाहिए।

मंत्रिमंडल ने चम्बा जिले की पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति के लिए थिरोट से किलाड़ तक 45.48 करोड़ रुपये की लागत से 33 के.वी. की नई लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की।

निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को 672.18 करोड़ रुपये स्वीकृत

शिमला/शैल। केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयन्त चौधरी ने राज्यसभा सांसद इन्दु गोस्वामी को संसद में बताया की समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान हिमाचल प्रदेश को 672.18 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से केन्द्रीय हिस्से की 485.96 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है।

उन्होंने बताया की समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय और राज्य के हिस्से की 661.10 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग कर लिया है।

सुनिश्चित करने तथा कार्यों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में निविदा सूचना के ऑनलाइन प्रकाशन के समय को 10 दिन से घटाकर सात दिन, सहायक अभियंता/अधिशासी

अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र का समय 20 दिन से घटाकर 12 दिन, अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र को 27 दिन से घटाकर 17 दिन तथा मुख्य अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र के समय को 30 दिन से घटाकर 22 करने का निर्णय लिया है।

बैठक में प्रदेश में सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने को मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य सड़कों के किनारे गिरे हुए या क्षतिग्रस्त पेड़ों को तुरन्त हटाना तथा उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

मंत्रिमंडल ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, लागत को कम करने और स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए डीएमओ को 50 पेड़ों तक के लॉट्स का प्रबंधन करने की शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में शिमला जिले के सुन्नी में एक नया उपमंडलाधिकारी कार्यालय (नागरिक) खोलने और संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के कोटा पाब, हलाहा, थोटा जाखल, उतरई, नाया पिंजौड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इनके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

जिला लाहौल-स्पीति के केलांग पुलिस थाना के अन्तर्गत सरचू में स्थाई पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने तम्बाकू उत्पादों पर रोड टैक्स को 4.50 रुपये प्रतिकिलो से बढ़ाकर 6.75 प्रतिकिलो करने का निर्णय लिया।

केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत न राज्यसभा सांसद इन्दु गोस्वामी को संसद में बताया की नैशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी के अन्तर्गत सैन्ट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन औरगवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बिलासपुर को क्रमश 223.00 और 86.87 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा की स्वीकृत धनराशि में से सैन्ट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन और गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बिलासपुर को क्रमश 95.00 लाख और 74.66 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है।

माँ चिन्तपूर्ण मन्दिर को 'प्रसाद' योजना के अन्तर्गत चुना गया

शिमला/शैल। केन्द्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने काँगड़ा के लोकसभा सदस्य डॉ. राजीव भारद्वाज को एक प्रश्न के उत्तर में बताया की केन्द्र सरकार ने ऊना जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ चिन्तपूर्ण मन्दिर को भारत सरकार ने 'प्रसाद' योजना के अन्तर्गत धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए चुना है जिसके अन्तर्गत इस स्थल में भ्रमण करने वाले श्रद्धालुओं को दीर्घकालीन रूप में प्राथमिकता के आधार पर बेहतर ठाँचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

उन्होंने बताया की इस धार्मिक स्थल के सम्पूर्ण विकास के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय को अभी तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं सौंपी है।

उन्होंने बताया की 'प्रसाद' योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों में से

महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों/पुरातत्व महत्व के स्थलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि धार्मिक पर्यटन का अधिकतम दोहन किया जा सके।

केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाह ने डॉ. राजीव भारद्वाज को एक प्रश्न के उत्तर में बताया की युवा सहकार योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश की किसी भी सहकारी समिति का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया की युवा सहकार योजना के अन्तर्गत 3 महीने से कार्यरत युवा उद्यमी सहकारी समितियों को पांच साल की अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है तथा इस ऋण पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 2 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करता है। उन्होंने कहा की यह राशि परियोजना के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

पार्वती जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण को मार्च 2025 में पूरा कर लिया जायेगा

शिमला/शैल। केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मन्त्री श्रीपाद येसो नाइक ने राज्यसभा सांसद इन्दु गोस्वामी को संसद में बताया की राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा विकसित की जा रही 800 मेगावाट क्षमता की पार्वती जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण को मार्च 2025 में पूरा कर लिया जायेगा।

उन्होंने बताया की इस परियोजना में आंशिक रूप से विद्युत् उत्पादन सितम्बर 2018 से शुरू हो गया है और अब तक परियोजना से 1129 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है।

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य

आयुष्मान भारत में प्रदेश के 144 प्राइवेट और 138 सरकारी अस्पताल इम्पैनेल

शिमला/शैल। केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री प्रताप राव जाधव ने काँगड़ा के लोकसभा सदस्य डॉ. राजीव भारद्वाज को संसद में बताया की आयुष्मान भारत-प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 144 प्राइवेट और 138 सरकारी अस्पताल इम्पैनेल किये गए हैं। उन्होंने बताया की योजना के अन्तर्गत बिलासपुर जिला में 4 प्राइवेट और 10 सरकारी, चम्बा जिला में 5 प्राइवेट और 8 सरकारी, हमीरपुर जिला में 9 प्राइवेट और 8 सरकारी, काँगड़ा जिला में 33 प्राइवेट और 25 सरकारी, किन्नौर जिला में 0 प्राइवेट और 6 सरकारी, कुल्लू जिला में 13 प्राइवेट और 9 सरकारी, लाहौल स्पीति जिला में 0 प्राइवेट और 6 सरकारी, मण्डी जिला में 21 प्राइवेट और 22 सरकारी, शिमला जिला में 5 प्राइवेट और 18 सरकारी, सिरमौर जिला में 8 प्राइवेट और 8 सरकारी, सोलन जिला में 24 प्राइवेट और 8 सरकारी और ऊना जिलों में 22 प्राइवेट और 10 सरकारी अस्पताल अंशुमान भारत प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत इम्पैनेल किये गए हैं। उन्होंने बताया की योजना में सबसे कम लाहौल स्पीति और किन्नौर में 6-6 हॉस्पिटल इम्पैनेल किये गए हैं जबकि सबसे ज्यादा काँगड़ा में 58 हॉस्पिटल इम्पैनेल किये गए हैं।

उन्होंने काँगड़ा के लोकसभा सदस्य डॉ. राजीव भारद्वाज को संसद में बताया की 31 अक्टूबर 2024 तक अंशुमान भारत-प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 13,39,890 आयुष्मान कार्ड बनाये गए तथा इस अबधि के दौरान 3.06 लाख रोगियों पर 408.38 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई।

उन्होंने बताया की आयुष्मान भारत प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत देश भर में मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 29870 अस्पतालों का नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसमें से 13173 प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं।

आयुष्मान भारत प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत हरियाणा में 724 प्राइवेट और 502 सरकारी अस्पताल, पंजाब में 557 प्राइवेट और 217 सरकारी अस्पताल, उत्तराखण्ड में 189 प्राइवेट और 105 सरकारी अस्पताल, केन्द्र शासित चण्डीगढ़ में 24 प्राइवेट और 7 सरकारी अस्पताल इम्पैनेल किये गए हैं।

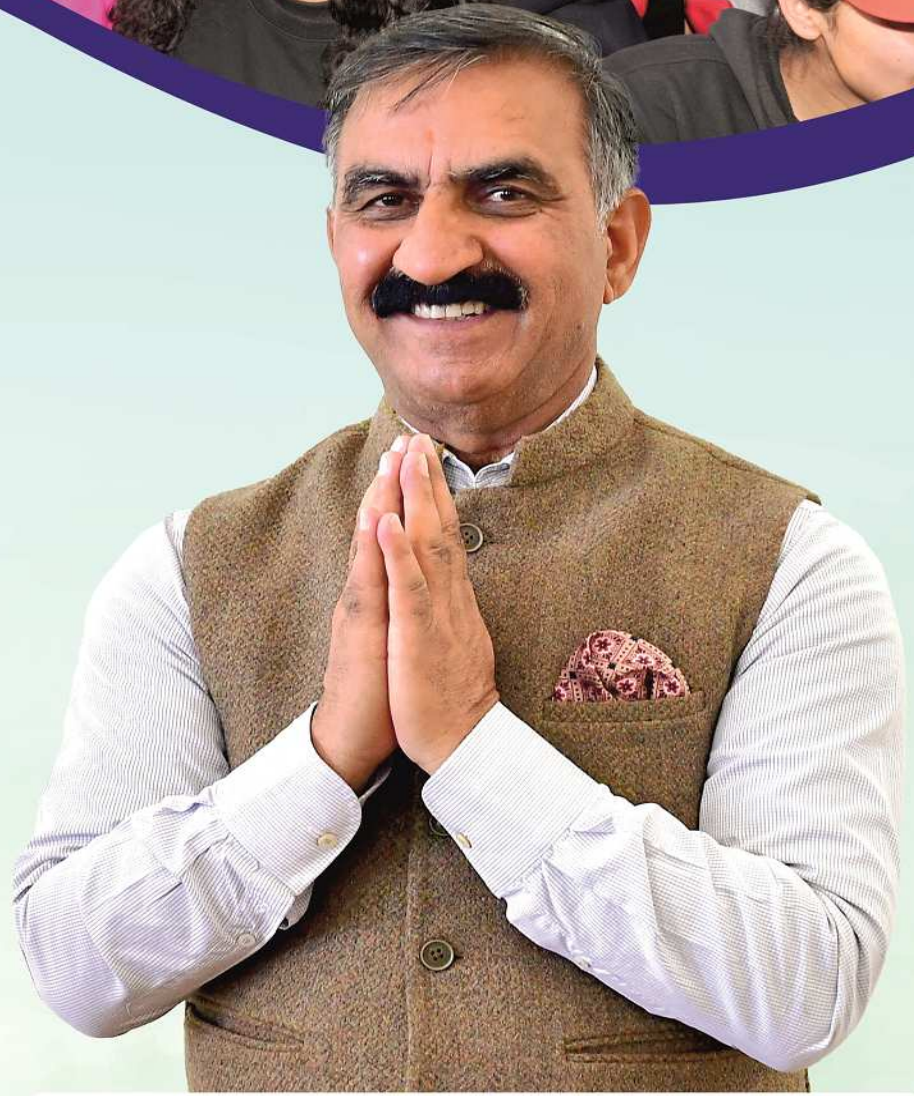
उन्होंने बताया की आयुष्मान भारत प्रधान मन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक 2854 प्राइवेट और 2948 सरकारी अस्पताल उत्तर प्रदेश में इम्पैनेल किये गए हैं जबकि सबसे कम लक्षदीप में 5 सरकारी अस्पताल इम्पैनेल किये गए हैं।

व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बनता हिमाचल



संवेदनशील हिमाचल सरकार

- विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता-पिता को बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गाँधी सुख शिक्षा योजना शुरू।
- 18 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण संबंधी खर्च के लिए 1,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं।
- IIT, IIM, Ph D पाठ्यक्रमों और मेडिकल कालेजों में 27 वर्ष आयु तक पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी।
- भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत पात्र विधवाओं, एकल, निराश्रित और दिव्यांग महिला श्रमिकों को गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की सहायता।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 400 बेटियों को 24.20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान।
- विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की।
- बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को आवास, शिक्षा, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं देने के लिए 59.73 करोड़ रुपये जारी।
- मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत निराश्रित बच्चों के माता एवं पिता का कर्तव्य निभाते हुए 4000 बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाकर उनकी शिक्षा, जेब खर्च के साथ-साथ स्टार्ट-अप शुरू करने और घर बनाने के लिए मदद की जा रही है।
- अनाथ बच्चों और बेसहारा वर्गों के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना।
- इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने पर प्रोत्साहन राशि 35,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये तथा दो बेटियों के बाद 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये की।
- जनसमस्याओं के समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम में संशोधन कर तकसीम और दुरुस्ती के मामलों का निपटारा 9 महीनों, निशानदेही मामलों का 3 महीने और इंतकाल मामलों का 1 महीने में निपटारा किया जा रहा है।
- आपदा प्रभावितों के लिए नियमों में बदलाव कर राहत राशि में 25 गुना तक वृद्धि कर घर बनाने के लिए मुआवजा राशि 1.30 लाख से 7 लाख रुपए की।



सरकार गाँव के द्वार

“प्रदेश के दूर-दराज़ इलाकों के लोगों को अपने काम करवाने के लिए ज़िला मुख्यालय या राज्य सचिवालय के चक्कर न काटने पड़े और उनके धन व समय की बचत हो, इस सोच के साथ 'सरकार गाँव के द्वार' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मैं खुद दुर्गम क्षेत्रों के गांवों में रात्रि विश्राम कर स्थानीय लोगों की समस्याओं को क़रीब से जानने व उनका समाधान करने के प्रयास कर रहा हूँ। मैंने मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों से भी कहा है कि जन समस्याओं का तेजी से समाधान करें ताकि दुर्गम क्षेत्रों के विकास को नया आयाम दिया जा सके।”

ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

क्या नादौन में बस स्टैंड के लिये सरकार की जमीन ही सरकार को बेच दी गयी

शिमला/शैल। जब सुक्खू सरकार सत्ता में दो साल पूरे होने का बिलासपुर में जश्न मना रही थी तो उसी समय भाजपा बतौर विपक्ष राज्यपाल को सरकार के खिलाफ दो साल के कारनामों का काला चित्रा सौंप रही थी। इस काले चित्रे में एक आरोप यह दर्ज है कि मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में ई बसों के लिए बनाये जा रहे बस स्टैंड के लिए 2015 में तीन लोगों राजेन्द्र कुमार, अजय कुमार प्रभात चन्द द्वारा 2,40,000 में खरीद कर उसी जमीन को 2023 में एचआरटीसी को चार सौ गुना दामों पर 6, 72, 61,226 रुपए में बेच दिया गया। यह लोग मुख्यमंत्री के नजदीकी है क्योंकि नादौन से ही ताल्लुक रखते हैं। भाजपा का यह आरोप अपने में बहुत कमजोर है क्योंकि किसी भी सौदे में लाभ कमाना कोई अपराध नहीं है। फिर जब यह जमीन 70 कनाल 2015 में खरीदी गयी और अब जब 2023 में बेची गई तो दोनों बार सर्किल रेट के आधार पर ही गणना की गयी होगी। फिर भाजपा का यह भी आरोप नहीं है कि इसमें सर्किल रेट को नजरअन्दाज किया गया है। फिर इसमें आरोप क्या है और भाजपा ने उस आरोप का खुलासा क्यों नहीं किया है। जबकि यह अपने में एक बड़ा घोटाला है। भाजपा के ही काले चिट्ठे में एक आरोप यह भी है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं 770 कनाल जमीन खरीद रखी है। मुख्यमंत्री सुक्खू और एचआरटीसी को 70 कनाल जमीन बेचने वाले सभी लोगों ने 2015 में राजा नादौन से यह जमीन खरीद रखी है।

स्मरणीय है कि राजा नादौन को 1857 में अंग्रेज शासन के दौरान 1,59, 986 कनाल 10 मरले जमीन बतौर जागीर मिली थी। यह जमीन पूरी रियायत के 329 गांवों में फैली हुई थी और राजस्व रिकॉर्ड में इन जमीनों पर ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान दर्ज था और आज भी दर्ज है। जिन जमीनों पर इस तरह का अन्दराज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होता है उनकी मालिक सरकार होती है कोई व्यक्ति विशेष नहीं। इसलिए 1974 के लैण्ड सीलिंग एक्ट के तहत राजा नादौन की सारी सरप्लस जमीनों की मालिक सरकार बन गयी। सीलिंग के बाद

- जब लैण्ड सीलिंग के बाद राजा नादौन के पास बची ही 316 कनाल थी तो उसने 70 कनाल और 770 कनाल कहां से बेच दी
- क्या नादौन में लैण्ड सीलिंग एक्ट लागू नहीं हुआ है
- जिस जमीन का राजस्व रिकॉर्ड ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान हो उसे प्राइवेट आदमी कैसे खरीद-बेच सकता है

राजा नादौन के पास बची हुई तहत बची ही 316 कनाल जमीन ही प्राइवेट लोगों को बेचते रहे? केवल 316 कनाल 10 मरले जमीन थी उसने 770 कनाल और 70 फिर जब जमीनों पर राजस्व रिकॉर्ड



थी। ऐसे में सवाल उठता है कि किस मालिक के पास कानून के कनाल जमीने बेच कहां से दी? क्या राजा नादौन सरकार की जमीने

क्या यह आयोजन.....पृष्ठ 1 का शेष

योगदान दे पाये और नहीं मुख्यमंत्री के संकट मोचक हो पाये।

इस रैली के बाद अब तक उपेक्षित चले आ रहे कार्यकर्ताओं को स्व. वीरभद्र सिंह के नाम पर इकठ्ठे होने का अवसर मिल जायेगा। क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह का सौ पन्नों का सरकार का काला चित्रा राज्यपाल को सौंपा है उससे भाजपा के हर कार्यकर्ता से लेकर नेता तक हर आदमी के पास सरकार के खिलाफ सवाल उठाने के लिये मैटिरियल मिल जायेगा। क्योंकि इस कच्चे चित्रे में लगभग सभी मंत्रियों और विभागों के खिलाफ कुछ न कुछ दस्तावेजी प्रमाणों के साथ दर्ज है। आने वाले दिनों में इस कच्चे चित्रे के आरोप हर दिन चर्चा का विषय रहेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के मित्र इस काले चित्रे का जवाब कैसे देते हैं। काले

चित्रे में जिस तरह के आरोप दर्ज हैं उनसे यह संभावना बलवती हो गई है कि शायद कुछ मामलों में सीबीआई तक सक्रिय हो जाये। ई डी पहले ही सक्रिय है। इस परिदृश्य में रैली के भरे मंच से संगठन और सरकार में तीव्र मतभेद होने का खुला संदेश जाना किसी भी गणित से सरकार के लिये हितकर नहीं हो सकता। अब इस मामले की प्रदेश प्रभारी किस तरह की रिपोर्ट हाईकमान के सामने रखते हैं और हाईकमान उसका कैसे संज्ञान लेता है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि जिस तरह की वित्तीय स्थितियों से प्रदेश गुजर रहा है और प्रधानमंत्री स्वयं इसको मुद्दा बना चुके हैं उसके आईने में इस रैली का औचित्य स्वयं ही सवालों में आ जाता है। नेता प्रतिपक्ष ने इस आयोजन पर सवाल उठाने शुरू कर ही दिये हैं।

में ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान का अन्दराज है तो संबंधित प्रशासन ऐसी सेल डीड को प्रमाणित कैसे करता रहा। राजा नादौन ने अपनी जमीने बचाने के लिये अदालतों में एक लम्बी लड़ाई लड़ी है। लेकिन 1984 में वित्तायुक्त आर.के.आनन्द

क्या मुर्गा और.....पृष्ठ 1 का शेष

कुछ आलोचकों पर दबाव बनाने के लिये एक समय दायर किया गया मानहानि का मामला शायद अब लोकसभा अदालत में पहुंच गया है। इसके परिणाम भी आने वाले समय में सुखद रहने की संभावना नहीं है। इस तरह के परिदृश्य के आईने में बिलासपुर समारोह के बाद घटा मुर्गा प्रकरण अपने में ही कुछ अलग अर्थ और अहमियत ले लेता है। क्योंकि यह प्रकरण 13 दिसम्बर को घटता है। इसमें वाक्यदा मैन्यू जारी हुआ जिसमें आईटम नम्बर 12 पर जंगली मुर्गा दर्ज है। इसमें यह सवाल उठता है कि क्या सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के आयोजकों को

के फैसले से कानूनी लड़ाई का अन्त हुआ। राजा नादौन केवल 316 कनाल के मालिक रहे थे। ऐसे में 1984 के बाद राजा नादौन द्वारा बेची गई हर जमीन सवालों के दायरे में आ जाती है।

यही नहीं लैण्ड सीलिंग एक्ट के लागू होने के बाद प्रदेश, हमीरपुर और नादौन का राजनीतिक नेतृत्व विधानसभा से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर क्या करता रहा। जब 2023 में एचआरटीसी को 70 कनाल जमीन बेची गयी तो उसी दौरान प्रदेश सरकार लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर रही थी। तब भी किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि अब भी प्रदेश में लैण्ड सीलिंग से अधिक जमीन रखने वाले कितने मामले हैं और क्यों हैं। जबकि 2011 में विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच का सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुये पूरे देश के मुख्य सचिवों को ऐसे मामलों पर कड़ी कारवाई करते हुये इसके बारे में शीर्ष अदालत को भी सूचित करने के निर्देश जारी कर रखे हैं। कानून की स्थिति को सामने रखते हुये स्पष्ट हो जाता है कि एचआरटीसी के संदर्भ में सरकार की जमीन पहले 2,40,000/- रुपए में तीन लोगों को बेची गयी और फिर उसी जमीन को 6,72,61,226 रुपये में बेच दिया गया तथा संबद्ध प्रशासन आखें बन्द करके बैठा रहा। जबकि यह मामला जिला प्रशासन तक भी गया है।

यह जानकारी नहीं थी कि जंगली मुर्गा संरक्षित वन्य प्राणियों में आता है और इसको मारना अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि जंगली मुर्गा बिना विचार के ही मैन्यू का हिस्सा बना दिया गया। विश्लेषकों की नजर में या तो यह प्रकरण राजनीतिक घटनाक्रम से ध्यान हटाने की नीयत से किया गया था आयोजकों ने अनचाहे ही असहज स्थिति में ला खड़ा करने की कवायत कर डाली। कुछ भी हो यह प्रकरण मुख्यमंत्री को भविष्य में सजग रहने की चेतावनी है क्योंकि इस तरह के मुद्दे सामने आना यह दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।